(b) The Presidential Orders dated the 1st and 11th September 1963 abolished the Ministry of Economic and Defence Co-ordination and created the Department of Co-ordination under the Ministry of Finance; one of the subjects assigned to that new Department is coordination in regard to important economic issues other than those handled by the Department of Economic Affairs. A full account of the work done by this Department in the Ministry of Finance has been given in the Annual Report for the Ministry of Finance for the year 1963-64 which has been circulated to the Members.

(c) The Presidential Orders cited have been made for the more convenient transaction of the business of the Government.

12.15 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE—(Query)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद् की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आप से कुछ जानकारी चाहता हूं, वह यह कि जब हम आप से यह निवेदन करते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए तो उसका केवल यही अभिप्राय नहीं होता कि जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उन के अधिकारों की आप रक्षा करें, बल्कि सचाई तो यह है कि जिस जनता के ये प्रतिनिधि चुने हुए हैं उस जनता के अधिकारों के रक्षक भी आप ही हैं। जब देश में कोई ऐसी घटना घटती है जिस के कारण देश के ४४ करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा पर आंच आए जैसे कि शेख अब्दुल्ला के आगमन पर राजा दिनेश सिंह और विदेश मंत्रालय के सचिव का उनके स्वागत के लिए जाना, जब कि वे इस प्रकार सदरे रियासत के स्वागत के लिए कभी नहीं गए....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैंने कई दफा कहा है कि इस तरह सवाल उठाने का कायदा नहीं है। आप इसे जरूरी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, मगर इस तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें उठें और सवाल करना शुरू कर दें।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : जब हम काल अटेंशन नोटिस देते हैं तो आप मंजूर नहीं करते, इसलिए हम पूछते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : क्या वे भारत सरकार की तरफ से गए थे या परसोनली गए थे ?

अध्यक्ष महोदय : आप शार्ट नोटिस सवाल पूछ सकते हैं, कालिंग अटेंशन नोटिस नहीं दे सकते।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Is it part of protocol or what?

Mr. Speaker: Papers to be laid on the Table.

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ALL INDIA SERVICES (DEATH-*cum*-RETIREMENT BENEFITS) AMENDMENT RULES

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to lay on the Table a copy of the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1964, published in Notification No. GSR 526 dated the 4th April, 1964, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library, see* No. LT-2809/64].

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT AND CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, CORRECTION TO NOTIFICATION

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): On behalf of Shri B. R. Bhagat, I beg to lay on the Table:—

(1) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—